NO.EDN-KGR [Activities] 2021-DM/
Office of the Deputy Director of Higher Education,
Kangra at Dharamshala.
Dated: Dharamshala-176215 the,

Dy ... of H... on
01 Oct 2024
Dispatch No. 7261-63
Kangra at ...

To

All the BPO's-cum-Principals,
Govt. Sr. Sec. School, District Kangra (H.P.).

Subject: - **Regarding the Comprehensive Mass Campaign for International Day for Disaster Risk Reduction "SAMARTH 2024" Promoting Safe Construction Practices at Gram Panchayat Level.**

Memo,

This is w.r.t the letter No. 956 SK/DM Dated 25/09/2024 received from O/o the Sub Divisional Officer (C), Dharamshala and in continuation to this office letter No. NO.EDN-KGR [Activities] 2021-DM/ Dated 10/09/2024.

In this connection, as per the directions of Worthy Deputy Commissioner Kangra at Dharamshala regarding the Comprehensive Mass campaign for International Day for Disaster Risk Reduction **"SAMARTH 2024"** and **"Dastak"**on **Dated 13th October, 2024** and Promoting Safe Construction Practices at Gram Panchayat at Level.

Agenda

1. **The Education Department will organize a competition for preparing safe construction models at Block Level in three different categories i.e Govt. High School Level and Govt. Sr. Sec. School Level (Proposed Agenda for "SAMARTH 2024" is enclosed).**

Therefore, you are hereby directed to organize a competition for preparing safe construction models at Block Level in two different categories i.e Govt. **High School Level and Govt. Sr. Sec. School Level** and submit their report along with selected safe construction models to this office.

Deputy Director of Higher Education,
Kangra at Dharamshala

Endst No. Even Dated-176215 September, 2024

Copy to:-

1. The Sub-divisional Officer(C), Sub-Division Dharamshala for information please.
2. **All the Principals/Headmasters GSSS/GHS in Distt. Kangra with the directions to ensure submit their report to concerned BPO office in stipulated period.**
3. The Nodal Officer (IT) internal to upload the same in dept. website along with email to all BPOs-cum-Principal GSSS in district Kangra.
4. Guard file.

Deputy Director of Higher Education,
Kangra at Dharamshala

समर्थ, 2024

Suggestive Agenda of the Gram Sabha Meeting

ग्राम सभा की बैठक का सुझावात्मक एजेंडा

ग्राम सभा के लिए आपदा प्रबंधन विषय पर मुद्दा (Agenda)

भूमिका:-

वर्तमान में आपदा प्रबंधन सतत विकास की प्राथमिकता बन चुका है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर आपदा हेतु पूर्व तैयारी व आपदाओं के जोखिमों को कम करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थाओं, समुदाय आधारित संगठनों व ग्रामीण समुदाय की है। इसके लिए आवश्यक है कि पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन के मुद्दे पर समझ विकसित करने व क्षमता वृद्धि पर ध्यान दिया जाए व पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि आपदा पबंधन पर स्थानीय प्राधिकारी के रूप में अपने दायित्वों को समझें व इस महत्वपूर्ण विषय पर जन जागरूकता पर ध्यान केन्द्रित करें। आपदा प्रबंधन के विषय पर सभी प्रधानों व उप-प्रधानों के प्रशिक्षण की भी बहुत आवश्यकता है। आपदा प्रबंधन पर राज्य कार्यकारी समिति (एस०ई०सी०) ने निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायत स्तर तक लोगों का आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक किया जाए।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 6 की धारा 41 के अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है-

अध्याय 6

स्थानीय प्राधिकारी (Local Authority)

"(1) स्थानीय प्राधिकारी (Local Authority) जिला प्राधिकरण (District Disaster Management Authority) के निर्देशों के अधीन रहते हुए-

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित हैं;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित संसाधनों का इस प्रकार अनुरक्षण किया जा रहा है जिससे वे किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में सदैव उपयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन या उसकी अधिकारिता के भीतर सभी सन्निर्माण परियोजनाए राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए अधिकथित मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप है;

(घ) प्रभावित क्षेत्र में राज्य योजना और जिला योजना के अनुसार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के क्रियाकलाप करेगा।

(2) स्थानीय प्राधिकारी (Local Authority) ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझे।"

सभी स्थानीय प्राधिकारी व पंचायत प्रधानों से अनुरोध है कि वे आगामी अक्तूबर / नवम्बर माह 2020 के होने वाली ग्राम सभाओं में आपदा प्रबंधन विषय पर एक मुद्दा भी शामिल करें। ग्राम सभा के लिए आपदा प्रबंधन विषय पर चर्चा हेतु मुद्दे निम्न प्रकार से है:-

- ग्राम सभा क्षेत्र में होने वाली आपदाओं तथा उनके प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक उपायों तथा कार्य योजना बनाने पर चर्चा।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कि धारा 41 में पंचायत को दी गई जिम्मेदारियों के बारे में चर्चा।
- पंचायती राज संस्थान (PRI) के सदस्यों ने आपदा प्रबंधन के सभी चरणों (आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के बाद) आपदा के बाद प्रतिक्रिया चरण से आपदा के जोखिम को कम करने के लिए शमन और तैयारियों के चरणों तक महत्वपूर्ण भूमिका पर बहस।
- सिविल डिफेंस एक्ट 1968 को सिविल डिफेंस (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा 2010 की अधिसूचना संख्या 3 द्वारा उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है, जिसमें आपदा प्रबंधन को नागरिक सुरक्षा कॉर्पस (Civil Defense Corps) के लिए एक अतिरिक्त भूमिका के रूप में शामिल किया गया है जिसमें सभी पंचायत प्रधानों को Civil Defense Warden का दर्जा दिया गया है।
- हिमाचल प्रदेश मे सिवल डिफेन्स की संरचना इस प्रकार है:
    - उपायुक्त एवं अध्यक्ष, डीडीएमए (DDMA) को जिलों में नागरिक सुरक्षा नियंत्रक के रूप मे नियुक्त किया गया है।
    - जिलों के कमांडेंट हिमाचल होम गार्ड को उस जिले में नागरिक सुरक्षा के उप
    - नियंत्रक के रूप में सशक्त किया गया है।
    - उप मंडल मजिस्ट्रेट को उप मण्डल में नागरिक सुरक्षा कॉर्पस के सदस्य के
    - नामांकन की शक्ति का उपयोग करने के लिए उप-नियंत्रक के रूप में नियुक्त
    - किया गया है।
    - ग्राम पंचायत के संबंधित प्रधान को उनकी पंचायत का नागरिक सुरक्षा वार्डन
    - नियुक्त किया गया है।

अतः प्रधान ग्राम पंचायत अपनी इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए जागरूक हो ।

- हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (HPSDMA) ने राज्य में बेहतर आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए 10-15 युवा स्वयंसेवकों के कार्य बल के सृजन पर एक योजना शुरू की है। इस के लिए सिविल डिफेंस जैसी एक संरचना की आवश्यकता है। • प्रस्तावित सिविल डिफेन्स संरचना उन स्वयंसेवकों को सक्षम कर सकेगी जिन्हें राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
- हालांकि, सिविल डिफेंस वालंटियर्स के प्रस्तावित ढांचे को मजबूत करने से राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमता में जमीनी स्तर पर भी काफी वृद्धि होगी।

- ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षित युवा स्वयंसेवक पंचायत प्रधान के अधीन कार्य करेंगे ताकि पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन को मजबूत किया जा सके। पंचायत अपने क्षेत्र में 18-35 वर्ष के युवाओं की प्रशिक्षण हेतु सूची तैयार करें।
- Civil Defense का notified स्वरूप निम्न प्रकार से होगा:

Deputy Commissioner
(Controller)
उपायुक्त
नियंत्रक

↓

कमांडेंट, हिमाचल होम गार्ड
(Deputy Controller)
कमांडेंट, हिमाचल होम गार्ड
(डिप्टी नियंत्रक)

↓

सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम)
(उप-नियंत्रक)
उपमंडल अधिकारी
(उप नियंत्रक)

↓

Pradhan, Gram Panchayat
प्रधान, ग्राम पंचायत
(वार्डन)
(Warden) (स्वयंसेवी युवकों द्वारा supported)

- पंचायत आपदा प्रबंधन हेतु संलग्न संदेश को पढ़कर सुनाएँ।

अधिक जानकारी के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संपर्क करें या Toll free नम्बर 1077 व 1070 पर संपर्क करें।

" समर्थ - 2024 "

आपदा प्रबन्धन जागरूकता अभियान

13 अक्टूबर को विश्व भर में *"अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण (IDDR) दिवस"* के रूप में मनाया जाता है, ताकि आपदाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके तथा आपदाओं से होने वाले जान व माल के नुकसान को कम किया जा सके। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (HPSDMA) वर्ष 2011 से इस दिवस को "समर्थ" के रूप में मना रहा है, जिसमें लोगों को विभिन्न गतिविधियों से जागरूक किया जाता है।

"हिमाचल ने यह ठाना है, आपदा को हराना है।

प्रयास न जाए कोई व्यर्थ, बनेंगे सक्षम, बनेंगे समर्थ ॥"

हम सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश आपदाओं की दृष्टि से अति संवेदनशील है। आपदाएं हर व्यक्ति एवं जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं। इसीलिए आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हम सभी को प्रयास करने की आवश्यकता है।

ग्राम सभा की बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर मंथन किया जाना चाहिए।

- भूस्खलन शमन गतिविधियों के बारे में।
- सुरक्षित निर्माण प्रथाओं और पारंपरिक निर्माण को बढ़ावा देना।
- भवन निर्माण के लिए असुरक्षित पहाड़ी की कटाई और उसके प्रभाव।
- सुरक्षित मलबे के निपटान की आवश्यकता।
- बारिश के जल की निकासी प्रणाली की आवश्यकता।
- प्राकृतिक जल निकासी क्षेत्रों (नले एवं नदियों) में निर्माण को प्रतिबंधित करना।
- जल निकास चैनलों के विसंकुलन पर ध्यान देना।

आपदाओं के प्रभाव को कम करने के कए कुछ उपाए इस प्रकार से हैं :-

- अपने आस पास के खतरों को पहचानें तथा उनके प्रभाव को कम करने का प्रयास करें।
- घरों / भवनों का निर्माण इस प्रकार से करें कि वे भूकम्प एवं आपदा रोधी हो।
- पहले से बने घरों / भवनों की मजबूती की जांच करवाएं तथा आवश्यकतानुसार उन्हें सुदृढ़ करें।
- घर में आपातकालीन किट, जिसमें सूखा भोजन, आवश्यक दवाएं, टार्च, रेडियो तथा पीने के पानी इत्यादि को हमेशा तैयार रखें।
- आपातकालीन चिकित्सा प्राथमिक सहायता (Medical Fist Aid) व खोज एवं बचाव का प्रशिक्षण प्राप्त करें, जिसके लिए जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से (1070 Toll Free Number) पर संपर्क करें।

- आपदाओं की जानकारी प्राप्त करें तथा सुरक्षा के उपाए जानें ।
- पूर्व चेतावनी (Early Warning) के प्रति सजग रहें व समय रहते उचित कदम उठाएं।
- घरों / कार्यालयों में लगे अग्निशमन (Fire Fighting) के यंत्रों को चलाना सीखें।
- अफवाहों पर ध्यान न दें व सही जानकारी के लिए Radio / TV पर सूचना प्राप्त करें।
- अपने परिवार की आपातकालीन योजना तैयार करें ।

हमेशा याद रखें:

"सुरक्षा जीवन का अर्थ है ।
बिना सुरक्षा सब व्यर्थ है ।। "